भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2604

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना

†2604. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में स्थित विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने विद्यालय और छात्र बढ़े हुए डिजिटल अवसंरचना से वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार लाभान्वित हुए हैं;
(घ) इस पहल के अंतर्गत कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कौन-कौन से विशिष्ट डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार के पास देश के विद्यालयों और विशेषकर तमिलनाडु के विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग शुरू करने के लिए कोई परिकल्पना या योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक फैला हुआ है और जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में लागू किया जाता है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहलों' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

i. **विकल्प I:** इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं लिया है, वे अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट कक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर क्रय की सुविधा है। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, आभासी कक्षा-कक्ष और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।
ii. **विकल्प II**: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षा-कक्ष/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

आईसीटी प्रयोगशाला: पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

2023-24 से, यह योजना स्कूल नामांकन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषण भी प्रदान करेगी। (संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, 100-250 के बीच: 4.5 लाख रुपये, 250-700 के बीच: 6.4 लाख रुपये)

स्मार्ट कक्षाकक्ष: स्मार्ट कक्षा-कक्ष (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षा-कक्ष) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष है (ई-सामग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली के शुल्क सहित)।

2020-21 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। 2020-21 से 2024-25 तक आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है। 2020-21 से 2024-25 तक स्मार्ट कक्षा-कक्ष के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में है।

भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन/अनुबंध करने और उन सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए परामर्श जारी किया गया है, जिनके पास कंप्यूटर उपकरण हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया है कि इंटरनेट शुल्क निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जा सकता है:

- समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाएँ/स्मार्ट कक्षाकक्ष के लिए, इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए जा रहे आवर्ती शुल्क से पूरा किया जा सकता है।
- जिन स्कूलों में आईसीटी/स्मार्ट कक्षा-कक्ष समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं और जिनमें कंप्यूटर उपकरण हैं, उनके लिए इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी की जा रही प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधि से पूरा किया जा सकता है या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की निधि से पूरा किया जा सकता है।

यूडाइस 2023-24 के अनुसार, देशभर में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या 4,70,188 है, जिनके पास कार्यात्मक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। यूडाइस 2023-24 के अनुसार, देशभर में प्राप्त कंप्यूटर सुविधाएं सरकारी स्कूलों की संख्या 5,14,095 है।

एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और शिक्षा में डिजिटल अंतराल को भरने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा तक एक से अधिक पद्धति की पहुंच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, जिसका लक्ष्य तमिलनाडु सहित देशभर में लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित करना है। इस पहल के मुख्य घटक हैं दीक्षा - देश का डिजिटल अवसंरचना, कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री का प्रसार करने हेतु ई-पाठशाला पहल, ई-जादुई पिटारा जैसे डिजिटल ऐप है जो वास्तविक जादूई पिटारा के हैं, दीक्षा मंच पर निर्मित आभासी प्रयोगशालाओं पर एक वर्टिकल कक्षा जहां 6वीं से 12वीं तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित की आभासी प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उपरोक्त डिजिटल पहल, जो विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट कक्षाकक्ष घटक" छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देते हैं। छात्र मल्टीमीडिया सामग्री और वार्तालाप गतिविधियों के साथ संसाधनों की व्यापक रेंज का लाभ उठाते हुए संपर्क बढ़ाते हैं। यह छात्रों के लिए गहन समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनका समग्र शैक्षिक अनुभव समृद्ध होता है।

*****

अनुलग्नक-I

"स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ईश्वरस्वामी के. और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा-कक्ष का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीटी प्रयोगशालाएं					स्मार्ट कक्षाकक्ष				
		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	6	8	2	9	0	3147	435	1096	0
2	आंध्र प्रदेश	621	405	710	917	445	659	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	92	114	39	43	29	34	102	107	0	0
4	असम	83	0	645	1859	628	897	1701	240	3643	0
5	बिहार	627	0	0	0	0	627	1981	126	2739	0
6	चंडीगढ़	32	1	0	2	0	1	1	95	89	0
7	छत्तीसगढ	1436	352	0	67	0	4582	519		2714	2624
8	दमन और दीव – दादरा नगर हवेली	12	24	25	28	10	37	18	53	84	0
9	दिल्ली	249	0	7	0	0	0	90	45	906	78
10	गोवा	0	3	0	0	0	0	0	0	24	0
11	गुजरात	35	479	0	0	0	521	447	0	4372	1815
12	हरियाणा	72	255	113	232	0	211	424	342	1154	1425
13	हिमाचल प्रदेश	3	12	282	480	218	14	0	616	1632	0
14	जम्मू और कश्मीर	598	172	203	220	408	1703	372	834	518	0
15	झारखंड	286	1447	504	896	726	337	342	121	519	0
16	कर्नाटक	454	0	0	764	0	95	100	1768		0
17	केरल	1	0	0	0	0	23	115	257	115	0
18	लद्दाख	17	46	16	6	49	66	20	8	38	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	मध्य प्रदेश	889	879	0	441	0	3716	3457	658	700	0
21	महाराष्ट्र	331	309	0	0	0	42	209	2405	887	0
22	मणिपुर	42	52	34	28	117	36	57	140	311	0
23	मेघालय	55	29	28	25	132	3	0	14		8
24	मिजोरम	311	217	62	0	63	11	0	28	201	0
25	नगालैंड	22	0	0	0	0	63	13	47	74	515
26	ओडिशा	95	0	0	302	0	681	0	2119	4471	384
27	पुदुचेरी	0	0	0	6	10	0	0	45	100	0
28	पंजाब	125	719	559	435	72	18	300	664	2903	0
29	राजस्थान	998	937	412	398	525	430	3420	408	5509	3290
30	सिक्किम	10	3	0	82	4	27	0	32	238	4
31	तमिलनाडु	1078	3536	2211	1893	441	6284	0	0	865	0
32	तेलंगाना	562	640	94	0	20	505	697	0	3010	0
33	त्रिपुरा	91	105	294	239	59	47	42	563	249	0
34	उत्तर प्रदेश	746	3669	289	0	0	4590	4229	18444	543	0
35	उत्तराखंड	1635	0	0	240	0	11	78	195	709	1529
36	पश्चिम बंगाल	160	63	0	1173	125	502	0	0	0	0
	कुल योग	**11712**	**14474**	**6535**	**10778**	**4090**	**26773**	**21881**	**30809**	**40413**	**11672**

स्रोत : प्रबंध

अनुलग्नक -II

"स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ईश्वरस्वामी के. और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21 से 2024-25 तक आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग
1	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	57.2	142.3	12.8	6.4	51.2	21.3	17.0	488.3	7.5	0.0
2	आंध्र प्रदेश	1869.0	0.0	5868.8	2725.1	4544.0	4400.6	2192.0	19652.7	4072.9	0.0
3	अरुणाचल प्रदेश	121.8	0.0	275.2	219.4	249.6	608.0	351.1	0.0	298.5	0.0
4	असम	4019.2	2915.5	11897.6	413.1	4128.0	12648.5	0.0	4412.8	468.7	0.0
5	बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8134.0	0.0	22526.2	4108.0	0.0
6	चंडीगढ़	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	11.9	4.5	0.0	204.8	0.0
7	छत्तीसगढ	0.0	0.0	428.8	1734.4	0.0	1641.1	880.0	1161.1	6544.1	0.0
8	दमन और दीव - दादर और नगर हवेली	64.0	64.5	179.2	70.4	160.0	262.4	65.9	390.9	84.8	0.0
9	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	1447.3	0.0
10	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	0.0	0.0
11	गुजरात	0.0	0.0	0.0	1946.5	0.0	0.0	1573.6	86.1	233.5	0.0
12	हरियाणा	0.0	3635.2	1484.8	198.1	723.2	147.3	768.9	3302.6	366.0	0.0
13	हिमाचल प्रदेश	1395.2	0.0	3072.0	0.0	1804.8	3753.0	28.8	3753.0	7.5	0.0
14	जम्मू एवं कश्मीर	1321.9	6288.3	928.4	0.0	1299.2	0.0	437.9	0.0	1807.1	0.0
15	झारखंड	4646.4	795.3	5734.4	6432.2	3225.6	1285.6	6802.2	4958.5	1334.5	0.0
16	कर्नाटक	0.0	0.0	4889.6	0.0	0.0	6549.2	0.0	0.0	2405.0	0.0
17	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0
18	लद्दाख	313.6	0.0	38.4	428.4	102.4	89.2	115.0	0.0	78.5	0.0
19	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	2822.4	0.0	0.0	398.4	4890.3	398.4	5834.4	108.8
21	महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.0	1190.0	0.0	0.0	2131.2	7963.7	1560.1	0.0
22	मणिपुर	735.9	1576.3	179.2	214.8	217.6	38.4	130.0	1190.3	115.4	12.5
23	मेघालय	844.8	391.1	160.0	589.9	179.2	0.0	102.4	535.3	164.3	0.0
24	मिजोरम	203.0	204.8	0.0	0.0	396.8	0.0	566.5	105.6	784.3	0.0
25	नागालैंड	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	
26	ओडिशा	0.0	0.0	1932.8	5346.6	0.0	0.0	0.0	0.0	456.0	0.0
27	पुदुचेरी	64.0	154.1	38.4	73.3	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28	पंजाब	460.8	1236.4	2784.0	0.0	3577.6	0.0	2647.7	5444.3	792.6	0.0
29	राजस्थान	2220.0	2835.4	2547.2	4225.7	2636.8	3463.9	4020.8	307.7	5090.9	2.6
30	सिक्किम	25.6	0.0	524.8	226.5	0.0	0.0	7.5	223.7	86.8	0.0
31	तमिलनाइ	2822.4	2822.4	12071.6	0.0	14150.4	22147.2	10114.6	0.0	6851.1	0.0
32	तेलंगाना	128.0	7000.0	0.0	0.0	601.6	5591.7	2271.4	0.0	3385.6	0.0
33	त्रिपुरा	377.6	1036.7	1529.6	728.0	1881.6	0.0	339.7	1764.8	213.3	0.0
34	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	1849.6	0.0	14676.8	0.0	5125.0	3487.6
35	उत्तराखंड	0.0	0.0	1536.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7593.2	0.0
36	पश्चिम बंगाल	800.0	0.0	7507.2	0.0	0.0	0.0	755.2	0.0	998.0	0.0
	कुल	**22490.4**	**31137.3**	**68456.0**	**26768.8**	**41824.0**	**71209.7**	**55904.4**	**78672.6**	**62581.6**	**3611.6**

स्रोत : प्रबंध

अनुलग्नक-III

"स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ईश्वरस्वामी के. और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-2021 से 2024-2025 तक स्मार्ट कक्षा-कक्ष के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग	आवंटित निधि	निधि का उपयोग
1	अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	2630.4	0.0	1044.0	849.6	7552.8	10377.6	1461.1	33.6
3	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	128.4	0.0	244.8	0.0	81.6	0.0
4	असम	0.0	0.0	8743.2	0.0	576.0	0.0	4082.4	7780.7	2099.5	54.6
5	बिहार	0.0	0.0	6573.6	0.0	302.4	2399.1	4754.4	2878.5	999.1	0.0
6	चंडीगढ़	0.0	0.0	213.6	0.0	134.4	87.0	2.4	103.6	2.4	0.0
7	छत्तीसगढ़	6297.6	0.0	6513.6	0.0	0.0	2421.6	1245.6	0.0	10864.8	0.0
8	दमन और दीव – दादर और नगर हवेली	0.0	0.0	232.8	0.0	150.4	0.0	43.2	0.0	87.16	0.0
9	दिल्ली	85.8	0.0	2306.5	1700.0	108.0	448.0	1350.0	0.0	0.0	0.0
10	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	गुजरात	4347.4	0.0	10959.0	0.0	0.0	3535.2	1072.8	7869.0	1187.3	0.0
12	हरियाणा	3650.2	0.0	2769.6	0.0	820.8	1938.7	1046.7	1649.3	476.88	0.0
13	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	3916.8	0.0	1478.4	0.0	0.0	0.0	22.12	0.0
14	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	1243.2	0.0	2001.6	0.0	892.8	0.0	4014.2	0.0
15	झारखंड	0.0	0.0	1245.6	0.0	290.4	1165.5	820.8	34.2	827.4	0.0
16	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.0	4243.2	328.8	735.0	0.0	150.1	0.0
17	केरल	0.0	0.0	276.0	276.0	616.8	336.0	276.0	0.0	54.38	0.0
18	लद्दाख	0.0	0.0	45.6	0.0	9.6	0.0	48.0	0.0	151.02	0.0
19	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	1680.0	1089.3	1579.2	14.4	7807.2	1987.5	7829.5	80.9
21	महाराष्ट्र	0.0	0.0	2128.8	0.0	5772.0	1097.7	501.6	1097.7	66.36	0.0
22	मणिपुर	0.0	0.0	746.4	774.4	336.0	175.2	136.8	62.4	86.4	0.0
23	मेघालय	151.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0
24	मिजोरम	0.0	0.0	482.4	482.4	67.2	0.0	0.0	482.4	24.76	0.0
25	नगालैंड	1927.4	0.0	177.6	0.0	112.8	461.3	31.2	860.3	124.8	0.0
26	ओडिशा	921.6	921.6	10730.4	10730.4	5085.6	4068.5	0.0	0.0	1382.4	0.0
27	पुदुचेरी	0.0	0.0	240.0	0.0	108.0	274.7	0.0	0.0	0.0	0.0
28	पंजाब	0.0	0.0	7153.2	0.0	1683.6	0.0	720.0	0.0	43.2	0.0
29	राजस्थान	3948.0	0.0	6610.8	228.3	979.2	229.9	8208.0	11.7	680.6	0.0
30	सिक्किम	64.0	0.0	571.2	571.2	76.8	57.6	0.0	0.0	64.8	0.0
31	तमिलनाडु	0.0	0.0	2076.0	0.0	0.0	2076.0	0.0	0.0	14995.5	0.0
32	तेलंगाना	0.0	0.0	7224.0	0.0	0.0	7224.0	1672.8	0.0	1078.6	0.0
33	त्रिपुरा	0.0	0.0	597.6	0.0	1351.2	1752.2	100.8	1752.2	48.9	0.0
34	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	1303.2	0.0	44265.6	35335.5	10149.6	0.0	10376	4234.8
35	उत्तराखंड	6509.0	0.0	1701.6	0.0	468.0	0.0	234.0	0.0	17.38	0
36	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1079.6	0
	कुल	**27902.06**	**921.6**	**91092.71**	**15852.07**	**73823.2**	**66276.64**	**53729.71**	**36947.14**	**60385.06**	**4403.98**

स्रोत : प्रबंध